



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(न्यायालय अधिकारी त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई)

प्रकरण संख्या-311/2020

बाद दिनांक-24.12.2020

उनवान

1. रमेश पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
2. सुखपाल पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
3. रंगलाल पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
4. सुरेश पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
5. प्रकाश पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
6. संजना पुत्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक
7. मोत्या देवी पत्नी रामकिशन जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक

- प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्व भू - राजस्व अधिनियम 1956
बाबत किये जाने पत्थरगढी

उपस्थित:- श्री गोपाल चौधरी वकील प्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक:- 30.6.21

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1/6 रकबा 15 बीघा भूमि धाके ग्राम बस्सी तहसील निवाई में स्थित है। प्रार्थीगण जब भी अपने खेत पर जाते हैं तो आस पास के खातेदारों से मेर कोर को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई बार विवाद हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस-पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दवाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काशतकार होने से पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता संख्या 444 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ



पत्र संलग्न है। प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम बस्सी की आराजी खसरा नम्बर 1/6 रकबा 15 बीघा भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रु. 500/- वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक...30.06.2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई